



Neutral Citation No. - 2026:AHC:165577

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या- 19023/2026

अतुल त्यागी

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : मोहम्मद अरसद खान

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 73

माननीय न्यायमूर्ति संदीप जैन

1- भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित राहतों की मांग करते हुए दाखिल की गई है:-

"(a)- उत्प्रेषण की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा उ.प्र. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3/4 के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 500 सन् 2025 (राज्य बनाम अतुल त्यागी) में पारित दिनांक 23.03.2026 के आदेश तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा उ.प्र. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 6 के अन्तर्गत अपील संख्या 893 सन् 2026 (अतुल त्यागी बनाम राज्य) में पारित दिनांक 05.05.2026 के आदेश को निरस्त किया जाए।"

याची की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उ.प्र. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3/4 के अन्तर्गत याची के विरुद्ध 21 मिथ्या आपराधिक प्रकरणों के आधार पर कार्यवाही प्रारंभ की गई। तत्पश्चात, जिलाधिकारी, हापुड़ द्वारा पारित दिनांक 23.03.2026 के आदेश के द्वारा याची को छह माह की अवधि के लिए जनपद हापुड़ की सीमाओं से निष्कासित कर दिया गया। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर याची ने अधिनियम, 1970 की धारा 6 के अन्तर्गत अपील संख्या 893 सन् 2026 (अतुल त्यागी बनाम राज्य) दाखिल की। तथापि, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा दिनांक 05.05.2026 के आदेश के माध्यम से इस आधार पर अपील

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निरस्त कर दी गई कि वह निर्धारित परिसीमा अवधि के पश्चात दाखिल की गई थी तथा विलम्ब के शमन के लिए याची द्वारा कोई पर्याप्त कारण नहीं दर्शाया गया था।

याची की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि याची ने विलम्ब से अपील दाखिल किए जाने के लिए पर्याप्त कारण दर्शाया था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि सभी आपराधिक प्रकरण याची के विरुद्ध मिथ्या रूप से संस्थित किए गए हैं और उनमें से किसी में भी याची की दोषसिद्धि नहीं हुई है। अतः केवल आपराधिक प्रकरणों का लंबित होना याची को "गुण्डा" घोषित किए जाने का आधार नहीं बन सकता, जिससे उसकी प्रतिष्ठा गंभीर रूप से धूमिल होती है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि जिलाधिकारी, हापुड़ तथा आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा पारित आदेश मनमाने, अवैध एवं विधि में असंधारणीय हैं। अतः रिट याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने प्रस्तुत किया कि याची का लंबा आपराधिक इतिहास है, जो स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि वह आदतन अपराधी है और समाज के लिए खतरा उत्पन्न करता है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि याची के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 377, 384 एवं 308 के अन्तर्गत कई गंभीर आपराधिक प्रकरण पंजीकृत हैं, जो उसकी आपराधिक प्रवृत्ति को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि अधिनियम के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को "गुण्डा" घोषित करने के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि उसके विरुद्ध पंजीकृत आपराधिक प्रकरण दोषसिद्धि में परिणत हुए हों। भले ही किसी आपराधिक प्रकरण में अभियुक्त दोषमुक्त हो गया हो, फिर भी इस बात का निर्धारण करते समय कि वह अधिनियम के अन्तर्गत "गुण्डा" की परिभाषा के अन्तर्गत आता है या नहीं, उस प्रकरण को ध्यान में रखा जा सकता है। अतः उन्होंने प्रस्तुत किया कि वर्तमान प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत इस न्यायालय की असाधारण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए आक्षेपित आदेशों में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता है।

मैंने पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर लाई गई सामग्री का परिशीलन किया।

उ.प्र. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 2(ख) में "गुण्डा" शब्द को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

"(ख)- 'गुण्डा' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- (i)- या तो स्वयं अथवा किसी गिरोह के सदस्य या नेता के रूप में, भारतीय दंड संहिता की धारा 153 या धारा 153-ख या धारा 294 अथवा उक्त संहिता के अध्याय XV, अध्याय XVI, अध्याय XVII या अध्याय XXII के अन्तर्गत दंडनीय अपराध को आदतन कारित करता है, या कारित करने का प्रयास करता है, या उसके कारित किए जाने का दुष्प्रेरण करता है; या
- (ii)- जिसे अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है; या
- (iii)- जिसे उ.प्र. आबकारी अधिनियम, 1910 या लोक जुआ अधिनियम, 1867 अथवा शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25, धारा 27 या धारा 29 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध के लिए कम से कम तीन बार दोषसिद्ध किया गया है; या
- (iv)- जिसकी सामान्य रूप से यह ख्याति है कि वह समुदाय के लिए दुस्साहसी एवं खतरनाक व्यक्ति है; या
- (v)- जो आदतन अश्लील टिप्पणियां करता है या महिलाओं अथवा लड़कियों को छेड़ता है; या
- (vi)- जो दलाल है;
- (vii)- जो मकान पर कब्जा करने वाला व्यक्ति है।
- (viii)- जो धन उधार विनियमन अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत दंडनीय अपराधों में लिप्त है;
- (ix)- जो विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1966 तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत दंडनीय अपराधों में लिप्त है;
- (x)- जो गोवंश के अवैध परिवहन और/या तस्करी में लिप्त है तथा गोवध निवारण अधिनियम, 1955 और पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के उपबंधों के उल्लंघन में कृत्यों में लिप्त है;
- (xi)- जो वाणिज्यिक शोषण, बलात् श्रम, बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम, यौन शोषण, अंग निकालने एवं उनकी तस्करी, भिक्षावृत्ति तथा इसी प्रकार की गतिविधियों के प्रयोजनों के लिए मानव तस्करी में लिप्त है।"

अभिलेख से यह स्पष्ट है कि याची का आपराधिक इतिहास 21 प्रकरणों से संबंधित है, जिनका विवरण निम्नलिखित है:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- 1- मुकदमा अपराध संख्या 138/24, धारा 341, 323, 506 भारतीय दंड संहिता, थाना कोतवाली, जनपद हापुड़।
- 2- मुकदमा अपराध संख्या 643/24, धारा 190, 191(2), 191(3), 115(2), 352, 351(2), 109, 126(2) बी.एन.एस. तथा धारा 3 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, 1932, थाना कोतवाली, जनपद हापुड़।
- 3- मुकदमा अपराध संख्या 803/24, धारा 352, 351(2) बी.एन.एस., थाना कोतवाली, जनपद हापुड़।
- 4- मुकदमा अपराध संख्या 837/23, धारा 506 भारतीय दंड संहिता, थाना कोतवाली, जनपद हापुड़।
- 5- मुकदमा अपराध संख्या 963/22, धारा 323, 504, 506 भारतीय दंड संहिता, थाना कोतवाली, जनपद हापुड़।
- 6- मुकदमा अपराध संख्या 229/23, धारा 308, 323, 324, 504, 506, 120-बी भारतीय दंड संहिता, थाना हापुड़ देहात, जनपद हापुड़।
- 7- मुकदमा अपराध संख्या 388/24, धारा 115(2), 351(2), 352 भारतीय दंड संहिता, थाना हापुड़ देहात, जनपद हापुड़।
- 8- मुकदमा अपराध संख्या 415/22, धारा 323, 504, 506 भारतीय दंड संहिता, थाना कोतवाली, जनपद हापुड़।
- 9- मुकदमा अपराध संख्या 960/21, धारा 452, 323, 384, 504, 506 भारतीय दंड संहिता, थाना कोतवाली, जनपद हापुड़।
- 10- मुकदमा अपराध संख्या 1018/21, धारा 504, 506, 427 भारतीय दंड संहिता, थाना कोतवाली, जनपद हापुड़।
- 11- मुकदमा अपराध संख्या 40/20, धारा 323, 504, 506, 427 भारतीय दंड संहिता, थाना कोतवाली, जनपद हापुड़।
- 12- मुकदमा अपराध संख्या 68/20, धारा 147, 148, 149, 323, 307 भारतीय दंड संहिता, थाना हापुड़ देहात, जनपद हापुड़।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13- एन.सी.आर. संख्या 377/18, धारा 323, 504 भारतीय दंड संहिता, थाना कोतवाली, जनपद हापुड़।

14- एन.सी.आर. संख्या 573/18, धारा 323, 504 भारतीय दंड संहिता, थाना कोतवाली, जनपद हापुड़।

15- एन.सी.आर. संख्या 575/18, धारा 323, 504, 506 भारतीय दंड संहिता, थाना कोतवाली, जनपद हापुड़।

16- मुकदमा अपराध संख्या 941/16, धारा 384, 307, 504 भारतीय दंड संहिता, थाना कोतवाली, जनपद हापुड़।

17- मुकदमा अपराध संख्या 452/15, धारा 452, 323, 504, 506 भारतीय दंड संहिता, थाना कोतवाली, जनपद हापुड़।

18- मुकदमा अपराध संख्या 980/15, धारा 323, 377, 504 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम, थाना कोतवाली, जनपद हापुड़।

19- मुकदमा अपराध संख्या 502/14, धारा 307 भारतीय दंड संहिता, थाना कोतवाली, जनपद हापुड़।

20- मुकदमा अपराध संख्या 679/14, धारा 25 शस्त्र अधिनियम, थाना कोतवाली, जनपद हापुड़।

21- मुकदमा अपराध संख्या 278/16, धारा 25 शस्त्र अधिनियम, थाना कोतवाली, जनपद हापुड़।

अभिलेख से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2014 से 2024 के मध्य संस्थित 21 आपराधिक प्रकरणों को जिलाधिकारी, हापुड़ द्वारा वर्ष 1970 के अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ करते समय विचार में लिया गया था। अभिलेख से यह भी प्रकट होता है कि याची का व्यापक आपराधिक इतिहास है। उक्त आपराधिक इतिहास के परिशीलन से यह पता चलता है कि उसके विरुद्ध पंजीकृत आपराधिक प्रकरण लगभग दस वर्ष की अवधि, अर्थात् वर्ष 2014 से 2024 तक, में फैले हुए हैं और उनमें से कई भारतीय दंड संहिता की धारा 377, 384, 307 एवं 308 के अन्तर्गत दंडनीय गंभीर अपराधों से संबंधित हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह भी प्रतीत होता है कि याची पिछले दस वर्षों से लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है। अतः प्रथमदृष्टया यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वह एक आदतन अपराधी है, जो बार-बार अपराधों के कारित किए जाने में संलिप्त रहा है।

वर्ष 1970 के अधिनियम के उपबंधों के सामान्य पठन से यह स्पष्ट होता है कि अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956; उ.प्र. आबकारी अधिनियम, 1910; लोक जुआ अधिनियम, 1867 तथा शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25, 27 या 29 के अन्तर्गत दोषसिद्धि को छोड़कर, अन्य अपराधों में दोषसिद्धि किसी व्यक्ति को अधिनियम के अन्तर्गत "गुण्डा" घोषित किए जाने के लिए अनिवार्य पूर्व शर्त नहीं है। किसी आपराधिक प्रकरण में मात्र संलिप्तता किसी व्यक्ति को "गुण्डा" घोषित करने के लिए पर्याप्त है, यदि वह आदतन अपराधी है और समाज के लिए खतरा है। फलतः याची की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत यह तर्क कि चूंकि किसी भी आपराधिक प्रकरण में उसकी दोषसिद्धि नहीं हुई है, इसलिए "गुण्डा" घोषित किए जाने के लिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, स्वीकार नहीं किया जा सकता।

यह भी स्पष्ट है कि जिलाधिकारी, हापुड़ द्वारा पारित आदेश में यह विधिवत अंकित किया गया है कि याची के आपराधिक इतिहास के दृष्टिगत, वह बार-बार जघन्य आपराधिक अपराधों में लिप्त रहा है और उसने समाज में आतंक का वातावरण उत्पन्न कर दिया है। आदेश में यह भी अंकित किया गया है कि याची एक आदतन अपराधी है, जिसके कारण जनता के सदस्य उसके विरुद्ध आगे आकर साक्ष्य देने में हिचकते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, याची को उ.प्र. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अन्तर्गत "गुण्डा" घोषित किया गया है। उक्त निष्कर्ष को किसी भी प्रकार से विकृत अथवा मनमाना नहीं कहा जा सकता है।

यह भी स्पष्ट है कि चूंकि याची निर्धारित परिसीमा अवधि के पश्चात अपील दाखिल करने के लिए पर्याप्त कारण दर्शाने में विफल रहा, इसलिए आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ ने अपील को सही रूप से निरस्त किया। उक्त आदेश में भी इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

उपर्युक्त विवेचना के दृष्टिगत, इस न्यायालय का मत है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 एवं 3 द्वारा वर्ष 1970 के अधिनियम के अन्तर्गत याची द्वारा दाखिल अपील को निरस्त करने अथवा याची को "गुण्डा" घोषित करने तथा वर्ष 1970 के अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत उसे छह माह की अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अवधि के लिए जनपद हापुड़ की सीमाओं से निष्कासित करने के संबंध में कोई अवैधानिकता नहीं की गई है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत इस न्यायालय की असाधारण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 2 एवं 3 द्वारा पारित दिनांक 05.05.2026 एवं 23.03.2026 के आक्षेपित आदेशों में हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार नहीं बनता है।

तदनुसार, रिट याचिका, गुण-दोष से रहित होने के कारण, **खारिज** की जाती है।

(न्यायमूर्ति संदीप जैन)

7 अगस्त, 2026

जितेन्द्र

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।